

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इव्तदाई

(ऑर्डर 20, कल 6-7, जाका वीतनी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर  
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र अर.ए.एस.

जसदन्त सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 15 /2022

निर्णय दिनांक :- 28.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिर्मसाल कतई स्वस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी कादी जसदन्त सिंह पेज होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादाव्य कादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कायनकारी अधिनियम 1955, मही-महील सक्ति होने से स्वीकार किया जाकर चक 11 एस की जमाबन्दी संवत् 2076 ता 79 के खाला संख्या 37 में जसदन्त सिंह पूर्ण हिस्सा रहन ओ.वी.सी. भाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर जसदन्त सिंह पूर्ण हिस्सा रहन पी.एन.वी. भाखा केसरीसिंहपुर इस खाला के शेष अंकन व रहन बटनुर रहेगे। उपदुक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 28.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (अर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (अर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 28/01/22

क्रमांक: रीडर/ 2022/ 60

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (अर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर